CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
Paryavas Bhawan, North Block, Sector - 19,
Nava Raipur Atal Nagar, District - Raipur (C.G.)
e-mail - hocecb@gmail.com

No. 8350 /H.O./CECB/2023 Nava Raipur Atal Nagar, dated: 27/02/2023

To,

The Registrar,
National Green Tribunal
Central Zonal Bench, Bhopal (M.P.)

Sub:- Regarding Hon'ble National Green Tribunal, Central Zonal Bench, Bhopal Order Dated 18/01/2023 in OA No. 03/2023, Vivek Tanwani Vs State of Chhattisgarh and Others.

Ref :- Hon'ble National Green Tribunal, Central Zonal Bench, Bhopal Order Dated 18/01/2023 in OA No. 03/2023 Vivek Tanwani Vs State of Chhattisgarh and Others.

----:00:----

In compliance to the Hon'ble National Green Tribunal, Central Zonal Bench, Bhopal order Dated 18/01/2023 in OA No. 03/2023, Vivek Tanwani Vs State of Chhattisgarh and Others, Hon'ble National Green Tribunal has passed an order to call a report on the matter in issue, Accordingly, a Joint Committee consisting of following members has been constituted :-

1. Mr. Atul Vishwakarma, Sub Divisional Magistrate (Revenue), Arang, District – Raipur (C.G.)- Representative of District Collector, District – Raipur (C.G.).
2. Mr. Arun Kumar, Deputy Director, DGMS, Bilaspur Region- Representative of Director General of Mines Safety.
3. R.K. Sharma, Superintending Engineer, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Nava Raipur Atal Nagar (C.G.)- Co-ordinator.
4. Mr. Prasanna Sonkar, Assistant Engineer, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Kabir Nagar, Raipur (C.G.) -Representative of CECB.

The Committee Members in reference to the present matter conducted meetings on 08.02.2023 and 18.02.2023, the minutes of the meetings duly signed by the members are

attached herewith. Accordingly, there are 86 Mining Quarry leases issued in the area mentioned in the Hon'ble NGT order as referenced above. It has been decided by the committee to collect the required information from the Quarry lease holders regarding basic information of mining leases, validity of Environmental Clearances, Permissions of DGMS, Details of explosives used in last one year, Agency by which explosions has been conducted, Intimations sent to govt. offices. The committee has decided to conduct the inspection of the concerned area after receiving the desired information. In light of the large number of Mining Quarry leases in the area, collection of information is taking more time than expected and the committee is of the unanimous view, that for collection of information, inspection and to prepare the action taken report, additional time of 03 months is required. In view of the above, undersigned is most humbly submitting the request on behalf of the committee for additional time of 03 months to be granted to the committee for submitting the action taken report in the present matter.

Encl.:- As above.

R.K. Sharma
Superintending Engineer
Chhattisgarh Environment Conservation Board
Nava Raipur Atal Nagar, District-Raipur (C.G.)

Endt. No. /H.O./CECB/2023 Nava Raipur Atal Nagar, dated: ____/____/2023

Copy to :-

1. Member Secretary, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Nava Raipur Atal Nagar for favour of information.
2. Ms. Parul Bhadoria, Advocate, Chamber No. 609, UCI, Lawyer Chamber, Bhopal, Near District Court, Bhopal, M.P. for favour of information and necessary action.

R.K. Sharma
Superintending Engineer
Chhattisgarh Environment Conservation Board
Nava Raipur Atal Nagar, District-Raipur (C.G.)

D:\R.K. Sharma Sir_2019\English Letter\English Letter2.docx

-/-

<u>माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल में विचाराधीन प्रकरण ओ.ए. कमांक 03/2023 (सीजेड) विवेक तनवानी विरूद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एवं अन्य के संबंध में गठित समिति की प्रथम बैठक–दिनांक 08/02/2023</u>

<u>कार्यवाही विवरण</u>

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल में विचाराधीन प्रकरण ओ.ए. कमांक 03/2023 (सीजेड) विवेक तनवानी वरूद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एवं अन्य के संबंध में पारित आदेश दिनांक 16.01.2023 के पालनार्थ गठित समिति की प्रथम बैठक दिनांक 08/02/2023 को कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे :–

1. श्री अतुल विश्वकर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (छ.ग.), कलेक्टर रायपुर के प्रतिनिधि।
2. श्री अरूण कुमार, खान सुरक्षा उपनिदेशक, बिलासपुर क्षेत्र, खान सुरक्षा महानिदेशालय के प्रतिनिधि।
3. श्री आर.के. शर्मा, अधीक्षण अभियंता, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, समिति के समन्वयक।
4. श्री किशोर कुमार गोलघाटे, उप संचालक, कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), रायपुर।
5. श्री प्रसन्ना सोनकर, सहायक अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के प्रतिनिधि।

बैठक में एन.जी.टी. के आदेश में लेखित बिन्दुओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई तथा आदेश के पालनार्थ प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में निम्नानुसार तथ्य प्रस्तुत किये गये एवं तदानुसार निर्णय लिये गये।

1. श्री के.के. गोलघाटे, उप संचालक, खनिज द्वारा समिति को सूचित किया गया कि आदेश में उल्लेखित क्षेत्र यथा ग्राम–धनसुली, ग्राम–नरदहा, ग्राम–अकोलडीह (खपरी), मंदिरहसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर अंतर्गत कुल 86 खदानें (क्वेरी लीज) स्वीकृत है। उक्तानुसार लीज धारकों (क्वेरी लीज) की सूची समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

2. समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई तथा उक्तानुसार लीज धारकों से लीज के संबंध में आवश्यक जानकारी के अतिरिक्त पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता, डी.जी.एम.एस. से ली गई अनुमति का विवरण, विगत् 01 वर्ष में खदान उपयोग किये गये विस्फोटकों का विवरण, विस्फोट करने वाली एजेंसी तथा विस्फोट के पूर्व जिन कार्यालय को सूचना दी गई, के संबंध में जानकारी एकत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया। तदानुसार प्रपत्र तैयार कर कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील–आरंग, जिला–रायपुर के माध्यम से लीज धारकों से यथाशीघ्र जानकारी एकत्र किये जाने बाबत् निर्णय लिया गया।

Scanned by TapScanner

3. उक्तानुसार जानकारी प्राप्त होने के उपरांत, प्राप्त जानकारी का विश्लेषण कर उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किये जाने बाबत् समिति द्वारा निर्णय लिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन उपरांत बैठक संपन्न हुई।

श्री अतुल विश्वकर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), आरंग	श्री अरूण कुमार, खान सुरक्षा उपनिदेशक, बिलासपुर क्षेत्र	श्री आर.के. शर्मा, अधीक्षण अभियंता, छ.ग.प.सं.मं., नवा रायपुर अटल नगर
श्री किशोर कुमार गोलघाटे, उप संचालक, खनि शाखा, जिला–रायपुर		श्री प्रसन्ना सोनकर, सहायक अभियंता, छ.ग.प.सं.मं., रायपुर

Scanned by TapScanner

<u>माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल में विचाराधीन प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 03/2023 (सीजेड) विवेक तनवानी विरूद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एवं अन्य के संबंध में गठित समिति की द्वितीय बैठक–दिनांक 18/02/2023</u>

<u>कार्यवाही विवरण</u>

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल में विचाराधीन प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 03/2023 (सीजेड) विवेक तनवानी विरूद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एवं अन्य के संबंध में पारित आदेश दिनांक 18.01.2023 के पालनार्थ गठित समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 18/02/2023 को कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे :–

1. श्री अतुल विश्वकर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (छ.ग.), कलेक्टर रायपुर के प्रतिनिधि।
2. श्री अरूण कुमार, खान सुरक्षा उपनिदेशक, बिलासपुर क्षेत्र, खान सुरक्षा महानिदेशालय के प्रतिनिधि। विडीयो कान्फ्रेन्सींग (VC) द्वारा।
3. श्री आर.के. शर्मा, अधीक्षण अभियंता, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, समिति के समन्वयक।
4. श्री किशोर कुमार गोलघाटे, उप संचालक, कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), रायपुर।
5. श्री प्रसन्ना सोनकर, सहायक अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के प्रतिनिधि।

बैठक में एन.जी.टी. के आदेश में लेखित बिन्दुओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई तथा आदेश के पालनार्थ प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में निम्नानुसार तथ्य प्रस्तुत किये गये एवं तदानुसार निर्णय लिये गये।

1. श्री अतुल विश्वकर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचित किया गया कि समिति के बैठक दिनांक 08/02/2023 में लिये गये निर्णय के अनुसार लीज धारकों को आदेश पत्र जारी कर निर्धारित प्रपत्र अनुसार जानकारी उपलब्ध कराये जाने बाबत् आदेशित किया गया है तथा उक्तानुसार आदेश पत्र की तामिली की जा रही है।
2. श्री अतुल विश्वकर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा उक्तानुसार क्वेरी लीज की संख्या अधिक होने के कारण आदेश पत्र की तामिली करने बाबत् अधिक समय की आवश्यकता होने तथा क्वेरी लीज धारकों द्वारा उक्तानुसार जानकारी तत्काल प्रस्तुत किये जाने में असमर्थता व्यक्त किये जाने के संबंध में भी सूचित किया गया।
3. समिति के सदस्यों द्वारा उक्तानुसार तथ्यों के प्रकाश में आवश्यक जानकारी के अभाव में तथा उक्तानुसार क्षेत्र में लीज धारकों की संख्या अधिक होने के दृष्टिगत निरीक्षण कार्य किये जाने तथा माननीय एन.जी.टी. के आदेशानुसार निर्धारित समयावधि में एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार किये जाने में असमर्थता बाबत् आम सहमति जताई गई। साथ ही समिति द्वारा उक्तानुसार जानकारी एकत्र कर निरीक्षण कार्य एवं एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार किये

Scanned by TapScanner

जाने हेतु 03 माह के अतिरिक्त समय की आवश्यकता होने के संबंध में आम सहमति व्यक्त की गई।

4. उक्तानुसार जानकारी एकत्र कर निरीक्षण कार्य एवं एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु 03 माह के अतिरिक्त समय बाबत् माननीय एन.जी.टी. को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के माध्यम से निवेदन पत्र प्रेषित किये जाने बाबत् निर्णय लिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन उपरांत बैठक संपन्न हुई।

श्री अतुल विश्वकर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व), आरंग

श्री अरूण कुमार,
खान सुरक्षा उपनिदेशक,
बिलासपुर क्षेत्र

श्री आर.के. शर्मा,
अधीक्षण अभियंता, छ.ग.प.सं.मं.,
नवा रायपुर अटल नगर

श्री किशोर कुमार गोलघाटें,
उप संचालक, खनि शाखा, जिला–रायपुर

श्री प्रसन्ना सोनकर,
सहायक अभियंता, छ.ग.प.सं.मं., रायपुर

Scanned by TapScanner